भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2055** जिसका उत्तर

मंगलवार, **22 सितंबर**, 2020/31 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है

सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

†**2055. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :**

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी :

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

श्री सुधीर गुप्ता :

श्री विद्युत बरन महतो :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागरमाला परियोजना के अंतर्गत गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश के विभिन्न पत्तनों में कार्गो संभलाई क्षमता विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो पत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं में शामिल करने हेतु गुजरात सहित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ड.) राज्य में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केंद्र सरकार को इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण तटीय समुदायों द्वारा व्यक्त चिंताओं की जानकारी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना द्वारा प्रभावित लोगों की जीविका को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार का प्रस्ताव/योजना क्या है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 506 परियोजनाओं की पहचान की गई है और राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। सागरमाला के तहत परियोजनाओं की राज्य/संघ शासित प्रदेश वार सूची सलग्न है **(अनुबंध-I)** ।

(ख) महापत्तनों में दर के पुन:-निर्धारण की कार्रवाई और पत्तन मास्टर प्लान से उत्पन्न परियोजनाओं के कार्यान्वन से वर्ष 2019-20 तक *550+ एमटीपीए* की कुल क्षमता सृजित की गई है। इसके अलावा, उन्नति परियोजना के अंतर्गत 116 में से 98 पहलों को कार्यान्वित किया गया है ताकि लगभग 80 एमटीपीए की क्षमता को उपयोग योग्य बनाया जा सके।

(ग) और (घ) सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं की सूची को माननीय प्राधानमंत्री द्वारा मार्च, 2016 में शुरू की गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) से तैयार किया गया है। एनपीपी के अलावा, पोत परिवहन मंत्रालय ने तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और महापत्तनों के परामर्श से ऐसी परियोजनाओं को शामिल किया है और शामिल करता आ रहा है जिनमें सागरमाला के लक्ष्य शामिल हैं। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए मंजूर की गई परियोजनाओं की राज्य/संघ शासित प्रदेशवार सूची संलग्न है (**अनुबंध-II**)।

(ङ) पोत परिवहन मंत्रालय, राज्य समुद्री बोर्डों (एसएमबी)/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों से उनकी चिंताओं को समझने और भारत सरकार से संबंधित मुद्दों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु बैठकों के आयोजन, वीडियो कान्फ्रेंसों आदि के माध्यम से नियमित अंतराल पर संवाद करता है। मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के बीच सागरमाला परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन में सहक्रिया बनाने हेतु समय-समय पर समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) की बैठकें आयोजित करता है और तटीय राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को राज्य सागरमाला समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

(च) और (छ) परियोजना विकास के एक भाग के रूप में, संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक एवं पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करनी अपेक्षित है कि प्रस्तावित परियोजना का समुदाय एवं पर्यावरण पर संभावित प्रभाव का आकलन करने में सम्यक अध्यवसाय किया गया है। इसके बाद, परियोजना की आधार रेखा की स्थिति, प्रभाव निर्धारण एवं मूल्यांकन के अध्ययनों के दौरान जांचे गए उन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सामाजिक एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना को तैयार एवं कार्यान्वित करना आवश्यक होता है। इसके अलावा, सागरमाला के तटीय सामुदायिक विकास स्तंभ के तहत पहचानी गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में समुदायों की आजीविका में सुधार का कार्य भी शुरू किया जाता है।

अनुबंध-।

राज्य	प्रगति पर	कार्यान्वयन के अधीन	पूरी की गई परियोजना
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	1	
आंध्र प्रदेश	37	30	29
असम	0	1	
बिहार	0	1	
छत्तीसगढ़	0		1
दमन एवं दीव	2		
गोवा	16	4	7
गुजरात	10	16	12
कर्नाटक	13	8	10
केरल	15	12	13
लक्षद्वीप	1		
महाराष्ट्र	27	40	23
ओडिशा	11	23	13
पुदुच्चेरी	2	1	
राजस्थान	0	1	
तमिलनाडु	25	26	36
तेलंगाना	1		
उत्तराखंड	0		1
पश्चिम बंगाल	3	17	13

अनुबंध- ॥

राज्य/संघ शासित प्रदेश	**परियोजनाओं की संख्या**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
आंध्र प्रदेश	8
दमन एवं दीव	2
गोवा	4
गुजरात	6
कर्नाटक	9
केरल	7
महाराष्ट्र	33
ओडिशा	4
पुदुच्चेरी	1
तमिलनाडु	16
पश्चिम बंगाल	6
सकल योग	**98**

*****